

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- वि.स./2014-15/ 17/ 94


दिनांक :- 19/5/14

आदेश

विषय :- Extra Items / Additional Quantities को सम्पादित करवाये जाने एवं भुगतान किये जाने के संबंध में।

कार्यालय आदेश क्रमांक मु.अ./2013-14/934 दिनांक 12.07.2013 जिसके द्वारा Extra items / Additional quantities को सम्पादित करवाने एवं रनिंग बिल में भुगतान करने के लिये संबंधित आवासीय अभियन्ता को अधिकृत किया गया था, उक्त आदेश PWF & AR के परिशिष्ट XIII के मद संख्या 24 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण, इस आदेश के पश्चात् जारी किये जाने वाले कार्यदेशों के लिए तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित (With Draw) किया जाता है।

भविष्य में Extra items / Additional quantities के प्रकरण लोक निर्माण वितीय एवं लेखा नियमों के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप निर्णित किये जावेगे।


आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा.आ.मं., जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वितीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता, रा.आ.मं., जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता I/II/III/अवसायित आवास विकास संस्थान, रा.आ.मं., जयपुर/जोधपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, रा.आ.मं.
5. आवासीय अभियन्ता, रा.आ.मं.
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, रा.आ.मं., जयपुर को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
7. रक्षित पत्रावली।


वितीय सलाहकार